



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082023-247881
CG-DL-E-05082023-247881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]
No. 460]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/श्रावण 13, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2023/SHRAVANA 13, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 587(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 16 की उपधारा (1क), उपधारा (3) और उपधारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घक), खण्ड (ड) और खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 7 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7क. चयन समिति चयन के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी और नियुक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी और आयोग चयन समिति द्वारा केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को, नियुक्त करेगा।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची-3 में,-

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 13क (131100 - 216600 रुपये);

(ख) स्तंभ (12) में, "8700 रुपये के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 7600 रुपये, ग्रेड वेतन " शब्दों के स्थान पर, "वेतन स्तर-13 में दो वर्ष का या वेतन स्तर-12" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- | | |
|--|------------|
| (क) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - अध्यक्ष; |
| (ख) अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
की रैंक से नीचे का न हों | - सदस्य; |
| (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक विशेषज्ञ | - सदस्य; |

(ii) क्रम संख्या 2 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर 13क (131100 – 216600 रुपये)";

(ख) स्तंभ (12) में, "8700 रुपये के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या समतुल्य अनुभव" शब्दों के स्थान पर, "वेतन स्तर-13 में दो वर्ष का या वेतन स्तर-12 या समतुल्य में छह वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - अध्यक्ष; |
| 2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
की रैंक से नीचे का न हों | - सदस्य; |
| 3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ | - सदस्य"; |

(iii) क्रम संख्या 3 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर 13क (131100 – 216600 रुपये)।";

(ख) स्तंभ (12) में, "8700 रुपये के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या समतुल्य अनुभव" शब्दों के स्थान पर, "वेतन स्तर-13 में दो वर्ष का या वेतन स्तर-12 या समतुल्य में छह वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - अध्यक्ष; |
| 2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हों | - सदस्य; |
| 3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ | - सदस्य"; |

(iv) क्रम संख्या 4 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-13 (123100 – 215900 रुपये)। ;

(ख) स्तंभ (12) में, "या 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में पांच या 6600 रुपये ग्रेड वेतन में दस वर्ष का या समतुल्य कार्य कर रहे हैं" शब्दों के स्थान पर, "में कार्य कर रहे हैं या वेतन स्तर-12 में पांच वर्ष का या वेतन स्तर-11 या समतुल्य में दस वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - अध्यक्ष; |
| 2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हो | - सदस्य; |
| 3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ | - सदस्य"; |

(v) क्रम संख्या 5 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-13 (123100 – 215900 रुपये);

(ख) स्तंभ (12) में, "या 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष या 6600 रुपये ग्रेड वेतन में दस वर्ष से या समतुल्य कार्य कर रहे हैं" शब्दों के स्थान पर, "में कार्य कर रहे हैं या वेतन स्तर-12 में पांच वर्ष का या वेतन स्तर-11 या समतुल्य में दस वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - अध्यक्ष; |
| 2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हो | - सदस्य; |
| 3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ | - सदस्य"; |

(vi) क्रम संख्या 6 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"स्तर-13 (123100 – 215900 रुपये)।" ;

(ख) स्तंभ (12) में, "अथवा 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष या 6600 रुपये ग्रेड वेतन में दस वर्ष का या समतुल्य कार्य किया हो" शब्दों के स्थान पर, "में कार्य कर रहे या वेतन स्तर-12 में पांच वर्ष का या वेतन स्तर-11 या समतुल्य में दस वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग - अध्यक्ष;
2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हो - सदस्य;
3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ - सदस्य";

(vii) क्रम संख्या 7 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"स्तर 12 (78800 – 209200 रु.)।" ;

(ख) स्तंभ (12) में, "या 6600 रुपये के ग्रेड वेतन या समतुल्य में पांच वर्ष काम किया हो" शब्दों के स्थान पर, "में कार्य कर रहे हैं या वेतन स्तर-11 या समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा की हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य - अध्यक्ष;
2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हो - सदस्य;
3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ - सदस्य";

(viii) क्रम संख्या 8 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"स्तर 12 (78800 – 209200 रु.)।" ;

(ख) स्तंभ (12) में, "या 6600 रुपये के ग्रेड वेतन या समतुल्य में पांच वर्ष काम किया हो" शब्दों के स्थान पर, "में कार्य कर रहे हैं या वेतन स्तर-11 या समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा की हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य - अध्यक्ष;
2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हो - सदस्य;
3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ - सदस्य";

(ix) क्रम संख्या 9 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"स्तर 12 (78800-209200 रुपये)।" ;

(ख) स्तंभ (12) में, "6600 रुपये के ग्रेड वेतन या समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा" शब्दों के स्थान पर, "वेतन स्तर-11 या समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

- | | |
|---|------------|
| 1. अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य | - अध्यक्ष; |
| 2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हो | - सदस्य; |
| 3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ | - सदस्य"; |

(x) क्रम संख्या 10 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"स्तर 12 (78800 – 209200 रु.)।";

(ख) स्तंभ (12) में, "6600 रुपये के ग्रेड वेतन या समतुल्य में पांच वर्ष का अनुभव" शब्दों के स्थान पर, "वेतन स्तर-11 या समतुल्य में पांच वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

- | | |
|---|------------|
| 1. अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य | - अध्यक्ष; |
| 2. अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रैंक से नीचे का न हो | - सदस्य; |
| 3. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ | - सदस्य"; |

(xi) क्रम संख्या 11 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"स्तर-11 (67700 – 208700 रुपये)।";

(ख) स्तंभ (12) में, "5400 रुपये के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रुपये के ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या 4600 रुपये के ग्रेड वेतन में सात वर्ष का या 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का" शब्दों के स्थान पर, "वेतन स्तर-10 में पांच वर्ष का या वेतन स्तर-8 में छह वर्ष का या वेतन स्तर-7 में सात वर्ष का या वेतन स्तर-6 में दस वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

- | | |
|--|-----------|
| 1. अध्यक्ष द्वारा नामित एक अधिकारी जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सलाहकार या महानिदेशक की रैंक से नीचे का न हो | - अध्यक्ष |
| 2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि जो निदेशक या;
उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो | - सदस्य |
| 3. अध्यक्ष द्वारा नामित बाहरी विशेषज्ञ | - सदस्य; |

(xii) क्रम संख्या 12 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"स्तर 10 (56100 - 177500 रुपये)।";

(ख) स्तंभ (12) में, "4800 रुपये के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 4600 रुपये के ग्रेड वेतन में तीन वर्ष का या 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का" शब्दों के स्थान पर, "वेतन स्तर – 8 में दो वर्ष का अनुभव या वेतन स्तर-7 में तीन वर्ष का अनुभव या वेतन स्तर-6 में आठ वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. अध्यक्ष द्वारा नामित एक अधिकारी जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सलाहकार या महानिदेशक की रैंक से नीचे का न हो - अध्यक्ष
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि जो निदेशक या उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो - सदस्य
3. अध्यक्ष द्वारा नामित बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य";।"

[फा. सं. प्रतिस्पर्धा-01/2/2023-प्रतिस्पर्धा-का.का.मं.]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में, सा.का.नि. 338(अ) तारीख 15 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 439(अ) तारीख 23 जून, 2009 और सा.का.नि 934(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2023

G.S.R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by clause (da), (e) and (f) of sub-section (2) of section 63 read with sub-sections (1A), (3) and (4) of section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009, namely: –

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General, other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 7, the following rule shall be inserted, namely: –

“7A. Selection Committee shall devise its own procedure for selection and recommend a panel of at least three names for appointment and the Commission shall appoint any person recommended by the selection committee after obtaining prior approval of the Central Government”.

3. In Schedule III to the said rules,–

(i) against serial number 1,–

(a) for column (4), and the entries relating thereto, the following column and entries shall be substituted, namely:–

“Level in pay matrix
(4)
Level 13A (Rs. 131100 – 216600).”;

(b) in column (12), for the words “two years experience in the grade pay of Rs. 8700 or six years in the grade pay of Rs.7600”, the words “two years experience in pay level – 13 or six years experience in pay level – 12” shall be substituted;

(c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:–

“Selection Committee for selection consisting of: -

1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson;
2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs – Member;
3. Expert nominated by the Central Government – Member.”;

(ii) against serial number 2,-

(a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 13A (Rs. 131100 – 216600).”;

(b) in column (12), for the words “two years experience in the grade pay of Rs. 8700 or six years in the grade pay of Rs.7600”, the words “two years experience in pay level – 13 or six years experience in pay level – 12” shall be substituted;

(c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Selection Committee for selection consisting of: -

1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson;
2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs – Member;
3. Expert nominated by the Central Government – Member.”;

(iii) against serial number 3,-

(a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 13A (Rs. 131100 – 216600).”;

(b) in column (12), for the words “two years experience in the grade pay of Rs. 8700 or six years in the grade pay of Rs.7600”, the words “two years experience in pay level – 13 or six years experience in pay level – 12” shall be substituted;

(c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Selection Committee for selection consisting of: -

1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson;
2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs – Member;
3. Expert nominated by the Central Government – Member.”;

(iv) against serial number 4,-

(a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 13 (Rs. 123100 – 215900).”;

(b) in column (12), for the words “five years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600”, the words “five years experience in pay level – 12 or ten years experience in pay level – 11” shall be substituted;

(c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Selection Committee for selection consisting of: -

1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson;
2. Officer not below the rank of Joint Secretary,

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------|
| | Ministry of Corporate Affairs | | – Member; |
|--|-------------------------------|--|-----------|
3. Expert nominated by the Central Government – Member.”;
- (v) against serial number 5,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 13 (Rs. 123100 – 215900).”;
- (b) in column (12), for the words “five years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600”, the words “five years experience in pay level – 12 or ten years experience in pay level – 11” shall be substituted;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
- | | | |
|--|--|----------------|
| 1. Chairperson, Competition Commission of India | | – Chairperson; |
| 2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs | | – Member; |
| 3. Expert nominated by the Central Government | | – Member.”; |
- (vi) against serial number 6,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 13 (Rs. 123100 – 215900).”;
- (b) in column (12), for the words “five years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600”, the words “five years experience in pay level – 12 or ten years experience in pay level – 11” shall be substituted;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
- | | | |
|--|--|----------------|
| 1. Chairperson, Competition Commission of India | | – Chairperson; |
| 2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs | | – Member; |
| 3. Expert nominated by the Central Government | | – Member.”; |
- (vii) against serial number 7,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 12 (Rs. 78800 – 209200).”;
- (b) in column (12), for the words “five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent”, the words “five years service in pay level – 11 or equivalent” shall be substituted;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
- | | | |
|--|--|----------------|
| 1. Chairperson or Member of the
Competition Commission of India
to be nominated by the Chairperson | | - Chairperson; |
| 2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs | | - Member; |
| 3. Expert nominated by the Central Government | | – Member.”; |
- (viii) against serial number 8,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 12 (Rs. 78800 – 209200).”;

- (b) in column (12), for the words “five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent”, the words “five years service in pay level – 11 or equivalent” shall be substituted;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
1. Chairperson or Member of the
Competition Commission of India
to be nominated by the Chairperson - Chairperson;
 2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs - Member;
 3. Expert nominated by the Central Government - Member.”;
- (ix) against serial number 9,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 12 (Rs. 78800 – 209200).”;
- (b) in column (12), for the words “five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent”, the words “five years service in pay level – 11 or equivalent” shall be substituted;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
1. Chairperson or Member of the
Competition Commission of India
to be nominated by the Chairperson - Chairperson;
 2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs - Member;
 3. Expert nominated by the Central Government - Member.”;
- (x) against serial number 10,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 12 (Rs. 78800 – 209200).”;
- (b) in column (12), for the words “five years experience in the grade pay of Rs.6600 or equivalent”, the words “five years experience in pay level – 11 or equivalent” shall be substituted;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
1. Chairperson or Member of the
Competition Commission of India
to be nominated by the Chairperson - Chairperson;
 2. Officer not below the rank of Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs - Member;
 3. Expert nominated by the Central Government - Member.”;
- (xi) against serial number 11,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 11 (Rs. 67700 – 208700).”;

- (b) in column (12), for the words “five years experience in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs. 4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200”, the words “five years experience in pay level – 10 or six years experience in pay level – 8 or seven years experience in pay level – 7 or ten years experience in pay level-6” shall be substituted;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
1. An officer not below the rank of
Advisor or Director General of the
Competition Commission of India
to be nominated by the Chairperson - Chairperson;
 2. Representative from Ministry of Corporate Affairs
not below the rank of Director or Deputy Secretary – Member;
 3. Outside Expert to be nominated by the Chairperson - Member.”;
- (xii) against serial number 12,-
- (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level 10 (Rs. 56100 – 177500).”;
- (b) in column (12), for the words “two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in the grade pay of Rs. 4200”, the words “two years experience in pay level – 8 or three years experience in pay level – 7 or eight years experience in pay level – 6” shall be substituted.”;
- (c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Selection Committee for selection consisting of: -
1. An officer not below the rank of
Advisor or Director General of the
Competition Commission of India
to be nominated by the Chairperson - Chairperson;
 2. Representative from Ministry of Corporate Affairs
not below the rank of Director or Deputy Secretary – Member;
 3. Outside Expert to be nominated by the Chairperson - Member.”.

[F. No. Comp-01/2/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 338 (E), dated the 15th May, 2009 and subsequently amended *vide* notification & G.S.R. 439(E), dated the 23rd June, 2009 and G.S.R. 934(E), dated the 31st December, 2009.